

कार्यालय जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रयोग हेतु जारी वर्ष 2021 के कैलेंडर में मोहर्रम का अवकाश दिनांक 19.08.2021 को किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा श्रीमान् शहर काजी, जामा मस्जिद, बुलन्दशहर से पत्र द्वारा जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मोहर्रम दिनांक 20 अगस्त 2021 को होगा। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने नोटिस संख्या 9639/XC-3/2021/Admin (E-1) Allahabad Dated 14-08-2021 के द्वारा दिनांक 19.08.2021 (गुरुवार) के स्थान पर दिनांक 20.08.2021 (शुक्रवार) को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ पीठ में अवकाश घोषित किया है।

अतः जनपद न्यायालय बुलन्दशहर एवं बाह्य न्यायालय खुर्जा एवं अनूपशहर तथा ग्राम न्यायालय स्याना एवं डिबाई में दिनांक 19 अगस्त 2021 (गुरुवार) के स्थान पर मोहर्रम का अवकाश दिनांक 20 अगस्त 2021 (शुक्रवार) को घोषित किया जाता है। दिनांक 19 अगस्त 2021 को न्यायालय यथावत् खुले रहेंगे।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।


17-8-2021

(डा० अजय कृष्ण विश्वेश)
जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।